

# मध्यप्रदेश विधान सभा



**जनवरी, 2019 सत्र**  
**दैनिक कार्य सूची**  
**बुधवार, दिनांक 9 जनवरी, 2019 (पौष 19, 1940)**  
**समय 11.00 बजे दिन.**

## 1. निधन का उल्लेख.

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख :-

- (1) श्री अटल बिहारी वाजपेयी, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री,
- (2) श्री सोमनाथ चटर्जी, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष,
- (3) श्री प्रफुल्ल माहेश्वरी, पूर्व राज्यसभा सदस्य,
- (4) श्री इन्द्रजीत कुमार, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
- (5) श्री देवीसिंह पटेल, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
- (6) श्री रामानंद सिंह, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
- (7) श्री दयाल सिंह तुमराची, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
- (8) श्री जुगल किशोर बजाज, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
- (9) श्री स्वामी प्रसाद लोधी, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
- (10) श्री प्रभुनारायण त्रिपाठी, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
- (11) श्री विमल कुमार चौरडिया, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
- (12) श्री आनंद कुमार श्रीवास्तव, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
- (13) श्री राधाकृष्ण भगत, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
- (14) सुश्री डॉ. कल्पना परूलेकर, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा.

## 2. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना.

श्री पी.सी. शर्मा, विधि और विधायी कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (क्रमांक 11 सन् 2018) पटल पर रखेंगे.

## 3. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

श्री सज्जन सिंह वर्मा, पर्यावरण मंत्री, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 की उपधारा (2) एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 35 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018 पटल पर रखेंगे.

#### 4. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

#### 5. शासकीय विधि विषयक कार्य.

श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 2 सन् 2019) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

#### 6. वर्ष 2018-2019 की द्वितीय अनुपूरक मांगों पर मतदान.

श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे –

“ दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 58, 64, 65, 67 तथा 69 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर बाईस हजार दो सौ सड़सठ करोड़, उनतीस लाख, पांच हजार, छह सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये. ”

#### 7. शासकीय विधि विषयक कार्य.

श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2019 (क्रमांक 1 सन् 2019) का \*पुरःस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

---

\*अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.

**भोपाल :**  
**दिनांक : 8 जनवरी, 2019**

**ए. पी. सिंह**  
**प्रमुख सचिव,**  
**मध्यप्रदेश विधान सभा.**